

# न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या:- 1/2024

दायरा दिनांक 12.01.2024

पीठासीन अधिकारी :- श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

खैरु पुत्र अर्जुन जाति सहरिया निवासी मुंडियर तहसील शाहबाद जिला बारां राजस्थान

- प्रार्थी

- बनाम-

1. गंगा पुत्र अमरु जाति सहरिया निवासी शाहपुर मुंडियर तहसील शाहबाद जिला बारां राजस्थान
2. रम्बो बाई पत्नी गंगाराम जाति सहरिया निवासी शाहपुर मुंडियर तहसील शाहबाद जिला बारां राजस्थान
3. तहसीलदार तहसील कार्यालय शाहबाद जिला बारां राजस्थान

- अप्रार्थीगण

उपस्थित :-

श्री अरविन्द शर्मा :- अभिभाषक, प्रार्थी।

श्री अजय अग्रवाल :- अभिभाषक, अप्रार्थीगण।


प्रार्थना पत्र वास्ते निरस्त किये जाने आवंटन आदेश दिनांक 18.05.2006 अन्तर्गत धारा 14(4) भू-राजस्व अधिनियम 1970

निर्णय

दिनांक 13.02.2026

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अंतर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल आवंटन एवं अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि :- प्रार्थी सहरिया अनुसूचित जनजाति का गरीब विकलांग व्यक्ति है, जिसके कब्जे काश्त की भूमि ग्राम शाहपुर खसरा नं0 55 रकबा 6 बीघा में प्रार्थी का आवास बना हुआ है, द्यूबबेल लगा हुआ है, पत्थरों का चारों ओर कोट है। प्रार्थी परिवार सहित निवास करता है। उक्त भूमि प्रार्थी विकलांग व प्रार्थी परिवार की आजीविका का, उदरपूर्ति का एकमात्र सहारा है, मैं से 4 बीघा भूमि का अप्रार्थीकम 1 व 2 को किया गया आवंटन आदेश दिनांक सर्वथा अवैध, विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम शाहपुर तहसील शाहबाद में खसरा नं0 55 की 4 बीघा भूमि का आवंटन

  
अतिरिक्त कलक्टर  
शाहबाद जिला बारां

अप्रार्थीकम 1 व 2 को आवंटन आदेश दिनांक 18.05.2006 सर्वथा अवैध, विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि विवादित खसरा नं0 55 की 6 बीघा कृषि भूमि आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व प्रार्थी ने काफी श्रम, धन व्यय कर झाड़कटी कर काबिल काश्त बनाया व तब से ही प्रार्थी निरन्तर काबिज काश्त है। उक्त आवंटन बाबत कोई सार्वजनिक उदघोषणा जारी नहीं की गई। केवल अनऑक्यूपाइड भूमि का ही आवंटन किया जा सकता है। वक्त आवंटन उक्त वर्णित भूमि अनऑक्यूपाइड खाली नहीं थी। प्रार्थी के कब्जे काश्त में थी इसलिये उक्त भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता था। लिहाजा उक्त वर्णित आवंटन आदेश सर्वथा, विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि उक्त वर्णित भूमि को प्रार्थी ने झाड़कटी कर काबिल काश्त बनाया है। प्रार्थी का भूमि पर चारों तरह पत्थरों का कोट हो रहा है। प्रार्थी का ट्यूबवेल लगा हुआ है। जिससे सिचाई कर प्रार्थी काश्त करता है। प्रार्थी का मकान उक्त वर्णित भूमि पर बना हुआ है जिस पर प्रार्थी परिवार सहित निवास करता है। प्रार्थी के पास उक्त भूमि पर बने आवास के अलावा अन्य आवास नहीं है। उक्त अवैध आवंटन को निरस्त नहीं किया गया तो प्रार्थी का आवास, आजीविका सभी नष्ट हो जावेंगी। प्रार्थी परिवार बेघर होकर भूखों मरने की नौबत आ जावेगी। प्रार्थी के आवास, आजीविका की भूमि का अप्रार्थीकम 1 व 2 को किया गया आवंटन अवैध विधि विरुद्ध होकर निरस्तनीय है।


यह कि अप्रार्थी भूमिहीन नहीं है। अप्रार्थी के खाते में केवल 5 बीघा भूमि बताकर उक्त भूमि को अतिरिक्त अप्रार्थीकम 1 व 2 द्वारा धारित अन्य भूमि के तथ्य को छिपाकर कपट व दुर्व्यपदेशन से आवंटन आदेश प्राप्त किये जाने से आवंटन निरस्तनीय है। यह कि उक्त आवंटन की पालना में अप्रार्थीकम 1 व 2 ने कभी दखल प्राप्त नहीं किया, अप्रार्थी कम 2 द्वारा कभी आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया, कभी अप्रार्थीकम 1 व 2 का कब्जा काश्त नहीं रहा। अप्रार्थीकम 1 व 2 द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से आवंटन स्वतः शून्य होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि ग्राम शाहपुर की प्रार्थी के कब्जे की भूमि खसरा नं.0 55 रकबा 4 बीघा का आवंटन आदेश गंगा द्वारा तथ्य छिपाकर स्वयं को भूमिहीन बताकर धोखाधड़ी से कपटपूर्वक दिनांक 18.05.2006 को प्राप्त कर लिया। उक्त आवंटन आदेश सर्वथा विपरीत व मनमाना व विधिविरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त आवंटन प्रार्थी के ज्ञान में नहीं था। दिनांक 31.07.2023 को शाहबाद पुलिस द्वारा प्रार्थी को बुलाकर कहा गया कि अप्रार्थी कम 1 व 2 रिपोर्ट करवाई है कि अप्रार्थीकम 1 की जमीन पर तेरा कब्जा है। इस पर अप्रार्थी कम 1 व 2 से बात करने पर ज्ञान हुआ कि अप्रार्थी कम 1 व 2 ने धोखाधड़ी से तथ्य छिपाकर प्रार्थी के आवास आजीविका की भूमि का आवंटन करवा लिया है। कभी अप्रार्थी ने कब्जा प्राप्त नहीं किया, काश्त नहीं की, आवंटन शर्तों की पालना नहीं की व राजस्व कर्मियों से मिलीभगत कर झूठी रिपोर्ट लगवाकर राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा लिया है। तिथि जानकारी से प्रार्थना अवधि मध्य पेश है। ज्ञान के अभाव में प्रार्थना पत्र पेश करने में हुये बिलंब सद्भाविक होकर क्षमा किये जाने योग्य है।

यह कि आवंटन आदेश का ज्ञान प्रार्थी को नहीं था, अप्रार्थी कम 1 व 2 द्वारा प्रार्थी की झूठी शिकायत करने पर दिनांक 31.07.2023 को ज्ञान हुआ। तिथी जानकारी से प्रार्थना पत्र अवधि मध्य पेश है।

विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बहस के दौरान कथन किया कि विवादित भूमि आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व प्रार्थी ने काफी श्रम, धन व्यय कर झाड़कटी कर काबिल काश्त

  
अतिरिक्त कलक्टर  
शाहाबाद जिला बारों

सुनाया व तब से ही प्रार्थी निरन्तर काबिज काश्त है। उक्त आवंटन बाबत कोई सार्वजनिक उदघोषणा जारी नहीं की गई। वक्त आवंटन उक्त वर्णित भूमि अनऑक्यूपाइड खाली नहीं थी। अप्रार्थी भूमिहीन नहीं है। अन्य भूमि के तथ्य को छिपाकर कपट व दुर्व्यपदेशन से आवंटन आदेश प्राप्त किये हैं। उक्त आवंटन की पालना में अप्रार्थीकम 1 व 2 ने कभी दखल प्राप्त नहीं किया, कभी अप्रार्थीकम 1 व 2 का कब्जा काश्त नहीं रहा। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की है। इस प्रकार का किया गया आवंटन विधी विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।


अप्रार्थीकम 1 व 2 के अभिभाषक ने कथन किया कि प्रार्थी ने 30 साल बाद अपील पेश की है इतनी देरी से पेश करने के क्या कारण रहे हैं अपील मेमो मे कारण नहीं बताया गया है अप्रार्थी को खातेदारी मिल गई है अपील किस अधिनियम के तहत पेश की। प्रार्थी द्वारा पूर्व मे कब्जे का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। उदघोषणा में लिखा जाता है कि भूमि आवंटन के लिये उपलब्ध है। आवन्टन से पूर्व सार्वजनिक उदघोषणा जारी की जाकर अप्रार्थी के नाम आवंटन किया गया है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के तर्कों व बहस का अवलोकन कर मनन किया तथा पत्रावली का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी पर आवंटन से पूर्व से ही प्रार्थी का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वक्त आवंटन मौके पर भूमि खाली नहीं थी, आवंटी का आज तक कब्जा नहीं रहा। लगभग 30 वर्ष से प्रार्थी का ही कब्जा रहा है।

परन्तु आवंटन से पूर्व प्रार्थी का कब्जा केवल अतिचारी का है चूंकि यह कानूनी कब्जा नहीं हैं। इसलिए सभी उद्देश्यों के लिए विवादित भूमि को आवंटन के लिए उपलब्ध मान लिया जाना चाहिए और उनके कब्जे को सुरक्षित नहीं किया जा सकता और भूमि के अतिचारियों को कोई राहत नहीं दी जा सकती। प्रार्थी ने ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया जिससे आवंटन विधि विरुद्ध किया गया हो।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू-राजस्व अधिनियम 1970 अस्वीकार किया जाता है तथा आवंटन सलाहकार समिति पूर्ण कोरम होने से किया गया आवंटन ग्राम शाहपुर खसरा नं0 55 रकबा 6 बीघा अप्रार्थीकम 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से उक्त भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति भेजी जावे। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

  
अतिरिक्त कलक्टर  
अतिरिक्त कलक्टर  
शाहाबाद  
शाहाबाद जिला बाराँ